

an>

Title: Regarding providing and distributing compensation to farmers.

श्री जगदम्बिका पात (डुमरियागंज): अधिाता महोदय, पूरा सदन आपका आभारी है कि आपने कम से कम इस शून्य पृष्ठ में हमारे सहयोगियों और माननीय सम्मानित सदस्यों को इतने महत्वपूर्ण विाओं को उठाने का अवसर दिया है, जो सीधे देश की जनता की समस्याओं से जुड़े हुए ज्वलन्त पृष्ठ हैं। आपने देखा कि देश के बाढ़ के हिस्सों की भी चर्चा हुई, किसी इलाके में सूखे की बात है, महा पुराा की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात है, निश्चित तौर से देश की जनता यही अपेक्षा करती है और जनता की आकांक्षायें भी होती हैं, जिसके प्रति हम सबका उत्तरदायित्व है, हमारी जवाबदेही है। अभी हमारे साथियों ने इस पृष्ठ को उठाया और इस सदन में जब हम पूरी शिदत से उठते हैं, जैसे आज अगर देश के पाँच राज्यों में इस समय जिस तरह से जल प्लावन है, जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है, वह गुजरात हो, राजस्थान हो, मणिपुर हो, वेस्ट बंगाल है, ओडीशा है, इन राज्यों में गृह मंत्रालय का आँकड़ा है कि 86 मौतें हो चुकी हैं। लगभग 25 लाख लोग प्रभावित हैं, फसल का बहुत नुकसान है और जब यह बात उठती है, तमाम राज्यों में केन्द्र की ओर से नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड (एनडीआरफ) की टीमें गई हैं। फिर हम मुआवजे की बात करते हैं, अभी-अभी एक माननीय सदस्य बाढ़ में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की बात कर रहे थे कि बाढ़ है और मुआवजा दिया जाए। मैं उससे हटकर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर केन्द्र सरकार किन्हीं सहत कार्यों के लिए, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, अगर उस नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से राज्यों को पैसा देती है तो निश्चित तौर से वह एक मानक के आधार पर पैसा देती है। केन्द्र अपनी एक सर्वे टीम भेजता है, वह सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट देती है और फिर उसके आधार पर राज्यों को पैसा मिलता है। पिछले दिनों अभी जहाँ यह बाढ़ आई थी, मार्च-अप्रैल में पूरे देश के उत्तर भारतीय इलाकों में, राज्यों में जिस तरह से ओलावृि्ट हुई थी और फसल का नुकसान हुआ था। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मथुरा हो, आगरा हो, सिद्धार्थ नगर हो, बस्ती हो, वहाँ काफी मौतें हुई थीं। उसमें निर्देश हुआ था और गृह मंत्री जी ने 503 करोड़ रूपया पहले दिया रिलीफ फंड और अभी दो हजार करोड़ रूपया गया है। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहाँ उस वितरण के काम में पक्षपात हो रहा है। अगर बस्ती जनपद के 14 विकास खंडों में वितरण हो रहा है तो सिद्धार्थ नगर के केवल दो विकास खंडों में वितरण हो रहा है। कम से कम एक पैरामीटर यह हो कि अगर कोई जनपद ओलावृि्ट से पूरा प्रभावित है, किसान की फसल का नुकसान हुआ है, अगर उसको किसी आधार पर पिक एंड वूज करके प्रशासन के लोग मुआवजा बांटते हैं तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से माँग करता हूँ कि निश्चित तौर से भारत सरकार के मानकों के अनुसार अब जो दो हजार करोड़ रूपया गया है, उसका ठीक से वितरण हो।